

धोखाधड़ी... फर्म होगी ब्लैकलिस्ट, मशीनें वापस

[illegible]

जहाँ लोगों को उमसभरी गर्मी से बड़ी राहत दी है, वहीं खेती और पर्यटन के लिए नई उम्मीदें जगा दी हैं। महज चार दिनों की इस मानसूनी पुहार से बास्तर का अधिकतम तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस गिरकर 25 डिग्री पर आ गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया। इसका एक सुखद असर यह है कि चित्रकोट वाटरफॉल शबाब पर आने लगा है। वहीं असर ऐसा भी है कि जगदलपुर शहर को इस बारिश ने पानी-पानी कर दिया है।

जगदलपुर शहर को इस बारिश ने पानी-पानी कर दिया है।

50 हजार में मिली थी  
गुजरात के व्यापारी की  
हत्या की सुपारी

**दुर्ग** | गुजरात की वडोदरा पुलिस ने शनिवार गार्मेंट व्यापारी आशीष बाकोलिया पर गोली चलाने वाले आरोपियों के अधिकारिक गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी। पुलिस ने खुलासा है कि व्यापारी की हत्या की रची (विदेश) में रची फाँजी (विदेश) में रची फाँजी की मालिक जय दयाल इसका नामस्टाम्पाइंड है। उसने अपने कर्मचारी वेक्क्रम सिंह को व्यापारी की हत्या करने की सुपारी दी थी। वेक्क्रम ने भिलाई के गुरजीत सिंह को 50 हजार रुपए पर गोली माने का ठेका दिया। सुपारी के लिए जय दयाल ने वेक्क्रम के बैंक खाते में 2.72 लाख रुपए भी कराए थे। इसी खम से पिस्तौल, मोटरसाइकिल और भिलाई के व्यापारी आशीष बाकोलिया ने ही व्यापारी आशीष पर गोली चलाई थी। जानकारी के अनुसार गुजरात पुलिस को घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज, आधार कार्ड, ट्रेन की टिकट जैसे सामग्र्य मिले थे। जिसके बाद पुलिस ने गुजरात ले गए। आरोपियों से पिस्तूल की मदद से दोनों को पकड़कर गुजरात ले गए। आरोपियों से पिस्तूल और मैगजीन जब्त की गई हैं। गुजरात पुलिस के मुताबिक आरोपी फकीर लौटने वाला था। जानकारी के मुताबिक वडोदरा के कारोबारी आशीष पिता मदनलाल बाकोलिया फकीर लौटने के बाद फकीर लौटने के तौर पर काम करता था।



# छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक

CHHATTISGARH GRAMIN BANK (Scheduled Bank Owned by Government)

क्षेत्रीय कार्यालय, डी.एम.एस. कॉम्प्लेक्स, मुंगेली नाका, बिलासपुर (छ.ग.)

Email : [npa.ro.bil@cgb.bank.in](mailto:npa.ro.bil@cgb.bank.in) | Mobile No. 6232032595 | Web : [www.cgb.bank.in](http://www.cgb.bank.in)

अवल सम्पत्ति ई-नीलामी सूचना: “जहां है एवं जैसी है”, “जो है जैसा है” एवं “जो कुछ भी है” की स्थिति में (ई-नीलामी तिथि 07/08/2026, समय सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक)

अयोध्यास्तार्किकता छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय अस्तित्वों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहिति प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) एवं धारा 13(4) प्रतिभूतिहिति (प्रवर्तन) नियम के साथ प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न दक्षित ऋणी के स्वामित्व वाली सम्यति जिसका अधिग्रहण छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के द्वारा कर लिया गया है, ऋणी से देय राशि वसूली हेतु सम्यतियों की सर्वोच्चता ई-नीलामी दिनांक 07/08/2026 को सुबह 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक है। अतः प्रहस्ताओं को निशेधित और सर्वसाधारण के सामान्यतः एवढ द्वारा निम्न वर्णित सम्यतियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। सम्यतियों के साथ कोई व्यवहार निम्न बातों के सामने वर्णित राशि एवं उस पर व्याज जो लेते छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>श्रीमती अश्विनी ठाकुर की बंधक संपत्ति का विवरण</b><br><br><b>श्रीमती अश्विनी ठाकुर पति श्री प्रवीण ठाकुर</b><br><br><b>जमानतदार:- श्री प्रवीण ठाकुर</b><br><br><b>पिता श्री सतोष ठाकुर</b> | <b>आगल संपत्ति का विवरण</b><br><br><b>श्रीमती अश्विनी ठाकुर की बंधक संपत्ति का विवरण:</b> भूमि एवं मकान प.ह.नं. 00030, खसरा नं.- 7/2, मौजा- देवकिरारी, पोस्ट- बिटकुली, आरनएम एवं तहसील- बिल्हा, जिला- बिलासपुर (छ.ग.) क्षेत्रफल 19.590 वर्ग फुट।<br><br><b>चौहद्दी:-</b> उत्तर- लोधी की भूमि, दक्षिण- रोड एवं शासकीय भूमि, पूर्व- दयालु की भूमि, पश्चिम- सताराम की भूमि। | <b>मांग सूचना तिथि</b><br><b>बकाया राशि</b><br><b>कछा/आदिपत्य तिथि</b><br><b>आदिपत्य का प्रकार</b> | <b>आरक्षित मूल्य</b><br><b>धरोहर राशि</b><br><b>बोली वृद्धि राशि</b> |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06/08/2025</b><br><b>₹</b>                                                                      | <b>₹ 75,11,000/-</b>                                                 |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>98,12,177.00</b><br><b>+ ब्याज + अन्य व्यय</b>                                                  | <b>₹ 7,51,100/-</b>                                                  |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>19/11/2025</b><br><b>सांकेतिक</b>                                                               | <b>₹ 10,000</b>                                                      |

ऋणियों/जमानतदारों/बचकरता को सुविधा दिया जाता है। ब्याज एवं अन्य खर्च का भुगतान ई-नीली तिथि के पूर्व कर देवें।  
बिक्री पश्चात अन्य कोई शेष बकाया राशि की बरतली का अधिकार प्रपिक्कन अधिकारी के पास सुरक्षित है।

### डॉ० नीलाम्पी की शर्तें-

- (1) ई-नीतामी 'जहां है जैसा है' - 'जो है जैसा है' एवं 'जो कुछ भी है' - के आधार पर भार सहित (अगर कोई हो) की जावेगी। बैंक की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है। भार के विवरण हेतु अधोस्तारकर्ता से धरोहर राशि जमा करने के पूर्व सम्पर्क करें।
- (2) ई-नीतामी बैंक द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता की वेबसाइट [www.baanknet.com](http://www.baanknet.com) के माध्यम से आन लाईन की जावेगी।
- (3) आरबिड मूल्य से कम की निविदा/आफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (4) संपत्ति निरीक्षण दिनांक 06/07/2026 से 06/08/2026 तक सुबह 11.00 से सायं 4.00 बजे तक संबंधित शाखा प्रबंधक की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। (संपर्क हेतु:- 62320325503, 6232032595)
- (5) इच्छुक बोली लगाने वाले/ खरीददारों को नीतामी के उचित समय से पहले बैंक से माध्यम प्राप्त सेवा प्रदाता Baanknet के संबंधित ई-नीतामी वेब पोर्टल <https://baanknet.com> में रजिस्ट्रेशन कर अपने स्तोबल ईमेल आईडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईमेल राशि को ट्रांसफर करना होगा। यदि स्तोबल ईमेल आईडी वॉलेट में ईमेल आई राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा।
- (6) सफल बोली के पक्ष में विक्रय की पुष्टि सिव्कोई क्रैडिट की पुष्टि के अधीन होगी।
- (7) इच्छुक निविदाकर्ता से अनुरोध किया जाता है कि वे स्वयं को वेब पोर्टल [www.baanknet.com](http://www.baanknet.com) में नाम पंजीकृत करवाए और लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें।
- (8) विक्री की पुष्टि होने पर सफल खरीददार विक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जिसमें ईमेल आईडी के लिए पहले भुगतान की गई राशि भी शामिल है तुरंत जमा करेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत राशि का 15 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। निर्धारित समयवधि में शेष राशि जमा न करने की स्थिति में बोलीकर्ता द्वारा जमा राशि बिना किसी सूचना के जमा कर ली जावेगी।
- (9) सफल बोलीकर्ता को सभी वैधानिक और सांख्यिक बकायों, रद्यात इस्टीमेट से संबंधित सभी खर्च, फीस, पंजीयन शुल्क, ट्रांसफर शुल्क एवं अन्य तात्कालिक खर्च, कर, प्रभार, शुल्क, इत्यादि स्वयं वहन करने होंगे।
- (10) अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त संबंधित शाखा से सम्पर्क करें या ईमेल करें [eauction@ccsl.co.in](mailto:eauction@ccsl.co.in) अथवा सर्विस प्रदाता M/s PSB Alliance (baanknet), Contact No.: 8291220220, Help Line E-mail ID :- support-baanknet@psballiance.com, Website: <https://baanknet.com> पर सम्पर्क करें एवं अंतिम निविद एवं सेकेण्ड एवं थर्ड बोल करने से बचें।
- (11) बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार, अस्वीकार या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सार्वभौम है।

दिनांक: 04.07.2026

प्राधिकृत अधिकारी

फजल का  
साइनेशियस  
करता था।